विकास अधिकारियों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भाग लिया।

(4) मार्गदर्शिकाओं को अमल में लाने के बारे में राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही की मार्च, 1995 में हुए राज्य सचिवों के सम्मेलन में समीक्षा की गई।

(5) मरुभूमि विकास कार्यक्रम और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम दोनों के लिए आबंटन के केन्द्रीय अंश की 25% राशि राज्य सरकारों को रिलीज की गई। तथापि, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के शीत मरुस्थली क्षेत्रों के लिए आबंटित पूरी राशि रिलीज की गई है।

विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाएं

7373. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री आस मोहम्मद:

क्या प्रधान मंत्री 27 अप्रैल, 1995 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 3993 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए गत वर्ष क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये और इन लक्ष्यों की प्राप्ति में कहां तक सफलता मिली है; और

(ख) इस संबंध में गत वर्ष का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) तथा (ख) 1994-95 के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत राज्यवार लक्ष्यों और उनकी प्राप्त उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध में दिया गया है। **[देखिए परिशिष्ट 173, अनुपत्र सं० 158]**

वैज्ञानिक भंडारण सुविधा

7374. **श्री आस मोहम्मद:**
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को, विशेष रूप से सीमान्त किसानों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले किसानों को वैज्ञानिक भंडारण सुविधा प्रदान करने के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत वर्ष के अंत तक गुजरात में ऐसे कितने, गोदाम स्थापित किए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) तथा (ख) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा 1979-80 से कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण गोदामों की स्थापना संबंधी योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दिया गया है।

(ग) योजना के अंतर्गत 1992-93 तक भारत सरकार द्वारा गुजरात राज्य में 1136 ग्रामीण गोदामों के निर्माण कार्य का अनुमोदन किया गया था। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार इनमें से 1002 ग्रामीण गोदामों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।

Supply of safe drinking water

7375. SHRI SANATAN BISI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have adopted any norms *i.e.* quantity etc. to supply safe drinking water to every human being per day;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by what time safe drinking water will be provided to every habitat of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL: (a) and (b) The present norm is to supply 40 litres of safe drinking water per capita per day (LPCD) within 1.6 kms. in plains and within 100 metres elevation difference in the hills. One hand pump or stand-post is provided for every 250 persons.

(c) All 'not covered' habitations are likely to be provided safe drinking water by 1997.